जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण

चम्पावत

प्रथम बोर्ड बैठक का एजेण्डा

तिथि : 20 दिसम्बर ,2017 (दिन बुधबार)

समय : अपरान्ह 02.00 बजे

स्थानः प्राधिकरण कार्यालय आयुक्त सभागार , तल्ली ताल नैनीताल।

फोनः 05965–230285

फैक्सः 05965–230295

आज दिनाक 20 दिसम्बर 2017 दिन बुधवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की प्रथम बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित निम्नानुसार रहीः–

1– श्री चन्द्रशेखर भट्ट, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल। – अध्यक्ष
2– डा0 अहमद इकबाल, जिलाधिकारी, चम्पावत। – उपाध्यक्ष
3– श्री एस0के0 पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून– सदस्य (पदेन)
4–श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, (सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) –सदस्य(पदेन)
5– श्रीमती अनीता आर्या, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल। (सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के प्रतिनिधि) –सदस्य–(पदेन)
6–श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (कुमाऊ) (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के प्रतिनिधि) – सदस्य (पदेन)

बैठक में अन्य उपस्थित गण–

1– श्री एस0एम0 श्रीवास्तव सहयुक्त नियोजक, कुमाऊँ सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग– उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
2– श्री अभिनव कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चम्पावत।

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति –

1– श्री हेमन्त कुमार वर्मा सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत – सचिव

सर्व प्रथम सचिव, द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत की प्रथम बोर्ड बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं को क्रमशः प्रस्तुत किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

मद संख्या – 01.01

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,चम्पावत का विकास क्षेत्र–

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1807/V-2/2017–05 (आ0)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं से स्थानीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के तहत जिला चम्पावत के स्थानीय विकास प्राधिकरण का समस्त क्षेत्र एवं समस्त स्थानीय निकाय तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत (छावनी परिषद को छोडकर) एवं जिला चम्पावत के पर्वतीय भू–भाग का राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मी0 तक की समस्त राजस्व ग्रामों जिनकी सूची (संलग्न) है को सम्मिलित करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्तानुसार घोषित विकास क्षेत्र को अंगीकृत किया जाना है।

तदनुसार नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र निम्नानुसार हैः–

मद संख्या	तहसील का नाम	क्षेत्र	टिप्पणी
1	चम्पावत–	पर्वतीय क्षेत्र	स्थानीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को छोडकर अवशेष भाग में स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मी0 तक के समस्त राजस्व ग्राम।

2	लोहाघाट	पर्वतीय क्षेत्र	नगर पंचायत लोहाघाट का सम्पूर्ण क्षेत्र। उक्त नगर पंचायत लोहाघाट के क्षेत्र को छोडकर अवशेष भाग में स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मी0 तक के समस्त राजस्व ग्राम।
3	पूर्णागिरी	मैदानी/ पर्वतीय क्षेत्र	नगर पालिका परिषद टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा का सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र। उक्त नगर पालिका परिषद टनकपुर एवं नगर पंचायत बनबसा का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोडकर अवशेष भाग में स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मी0 तक के समस्त राजस्व ग्राम।

जनपद चम्पावत की पर्वतीय तहसीलों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 09 – टनकपुर से सिंगदा (घाट)
2– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–125 –पचपकरिया से टनकपुर।
3– राज्य राजमार्ग संख्या –10 – बालिग से निडिल पंचेश्वर।
4– राज्य राजमार्ग संख्या –57– सिमलखेत से लोहाघाट।
5–राज्य राजमार्ग संख्या –64 – कुलियालगांव से पोलप।

जनपद चम्पावत के स्थानीय निकायो (छावनी खेत्र छोडकर) एवं पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र को छोडकर अवशेष क्षेत्र में उक्त मार्गो के मध्य से 200.00 मी0 के क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम समाहित होगें। राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मध्य राजस्व ग्रामों में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200मीटर)तथा व्यवसायिक दुकाने (30.00 वर्ग मी0 तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृति किये जाने पर स्वतः छूट होगी। वशर्ते निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्परोधी हो। उक्तानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवाहीः– सभी सदस्यों द्वारा विकास क्षेत्र की जानकारी करते हुए सर्वसम्मति से अधिसूचनाओं को अंगीकृत किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) के समस्त मैदानी क्षेत्रों को जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल की भांति तहसील पूर्णागिरी(टनकपुर)का सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

<u>मद संख्या 01.02</u>

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–देहरादून के पत्र संख्या 1900 दिनांक 17 नवम्बर 2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदत्त की गयी हैः–

1– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय चम्पावत होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट एवं उप तहसील मंच, पुल्ला आच्छादित होगा।
2– क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में अवस्थित होगा जिसके अन्तर्गत तहसील श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) का सम्पूर्ण क्षेत्र आच्छादित होगा।

उक्तानुसार मुख्यालय चम्पावत एवं क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में स्थापित किये जाने हेतु कार्यालय भवन वर्तमान तक कलक्ट्रेट परिषर चम्पावत एवं तहसील परिसर टनकपुर में स्थापित किये गये है। जिसकी साज सज्जा हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

कार्यवाहीः– प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण का मुख्यालय कलक्ट्रेट परिसर चम्पावत में एवं क्षेत्रीय कार्यालय तहसील परिसर टनकपुर में स्थापित किया जाय। तद्नुसार विज्ञापन पटल भी स्थापित कर दिये जाय। कार्यालय के साज सज्जा हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाय।

मद संख्या –01.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में।

जनपद चम्पावत के पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरण में कोई भी पद सृजित नहीं है और स्थाई रूप से किसी भी कार्मिक की नियुक्ति नही हुई है। प्राधिकरण के कार्यो को सुचारूरूप से सम्पन्न किये जाने हेतु लो0नि0वि0 से जे0ई0 वं राजस्व विभाग से लिपिक सम्बद्ध किये गये थे।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2104/V-2–2017–53 (आ0)/2014 आवास अनुभाग–2 दिनांक 15 दिसम्बर 2017 द्वारा उत्तखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे में पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नियमित रूप से कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने तक जनपद में अभियन्त्रण सेवाओं के विभागों तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, जल निगम आदि विभागों में तैनात अवर अभियन्ताओं/अपर सहायक अभियन्ताओं को नामित कर प्राधिकरण के कार्यो का सम्पादन किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय सहायक के कार्यो हेतु तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपनल/पी0आर0डी0 /आउटसोर्स से कार्मिक तैनात किये जा सकते है।

अतः उक्तानुसार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक, डाटा इन्ट्री आपरेटर तकनीकी सुपरवाईजर तथा अनुसेवक उपनल/पी0आर0डी0/वाह्य ऐजेन्सी से आवश्यकतानुसार तैनाती किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही– जनपद चम्पावत में कोई भी कार्मिक पूर्व में नियमित रूप से कार्यरत नही है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में नियमित रूप से कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने तक जनपद में अभियन्त्रण सेवाओं के विभागों तथा ग्रामीण निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, जल निगम आदि विभागों में तैनात अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं को नामित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय सहायक के कार्यो हेतु तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपनल/पी0आर0डी0 से कार्मिको की तैनाती के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली जाय।

मद संख्या –01.04

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन ,2015)(समय–समय पर यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या 1599/V-2/05 (आ0)/2017 टी0सी0–03/2017 दिनांक 21 नवम्बर 2017 में शासनादेश संख्या 888/V-2012–55(आ0)/2006 टी0सी0 दिनांक 12 जुन 2015 के द्वारा निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम–2011(संशोधन 2015) एवं समय–समय पर संशोधित यथा 2016, 2017 को बोर्ड में अंगीकृत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अ– पूर्व स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र को छोडकर अवशेष क्षेत्र हेतु –

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन 2015) समय–समय पर यथा संशोधित–2016, 2017 के तहत शासनादेश संख्या 888/दिनांक 12.06.2015 एवं शासनादेश–संख्या 837/दिनांक 03.06.2016, शासनादेश संख्या 1798 दिनांक 08 दिसम्बर 2016 शासनादेश संख्या 964 दिनांक 13 सितम्बर 2017 में संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम को अंगीकृत किया जाना है।

ब— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्राविधान के अनुसार 20,000.00 वर्गमीटर से अधिक कवर्ड एरिया एवं 150.00 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की टाउनशिप एवं भूमि विकास के मानचित्रों की स्वीकृति से पूर्व वांछित environment impact Assessment (EIA) अनापत्ति—पत्र प्राप्त किया जाना होगा, साथ ही मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुसार 10,000.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में भवन मानचित्र स्वीकृति में एस0टी0पी0 एवं सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन का प्राविधान अनिवार्य होगा।

उक्त शासनादेशानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम—2011 (संशोधन 2015) को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही— बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु अ—एवं ब—पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्तुत विनियमों एवं वर्णित शासनादेशों के अनुसार विनियमों को समाहित करने के साथ—साथ स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाह्य मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम —2014 (संशोधन 2015) (समय—समय पर यथा संशोधित) के साथ बिन्दु—ब में वर्णित प्राविधानों को अंगीकृत किया गया। भवन निर्माण उपविधि के अनुसार विकास क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भण्डारण के प्राविधानों के तहत भूतल की छत निर्माण से पूर्व निर्मित किये जाने के साथ—साथ प्राधिकरण से पुष्टि कराये जाने को भी प्राविधानित किया जाय।

मद संख्या —01.05

पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के तहत प्रचलित अवैध निर्माण वादों के सम्बन्ध में—

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग—देहरादून के पत्र संख्या 1900 दिनांक 17 नवम्बर 2017 द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा—3 के तहत जिला चम्पावत स्थानीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को समाप्त करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को अधिसूचित किया गया है। स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व से ही उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत गठित था।

मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या 788 दिनांक 28 नवम्बर 2017 के तहत समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2013) के अन्तर्गत व्यवस्था तथा मार्ग—दर्शन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये जिसके बिन्दु 11 में उल्लेख किया गया है कि जो कार्यवाही अवैध निर्माणों के विरूद्ध पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरण में की गयी है। वह कार्यवाही भी उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश किये जा सकेंगे।

अवैध निर्माणों के विरूद्ध लम्बित वादों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में सूचना शून्य है। अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्राप्त होने वाले वादों को नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत वादों का निस्तारण करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :— बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आर0बी0ओ0 एक्ट के तहत अवैध निर्माण के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत निस्तारित किया जाय।

मद संख्या —01.06

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के अन्तर्गत महायोजना के अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

अ–पूर्व में स्थानीय विकास प्राधिकरण में महा योजना नही बनी है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हेतु महा योजना प्रस्तावित की जानी है।

ब– महा योजना से बाह्य क्षेत्रों में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग विद्यमान है। महायोजना न होने से उक्त मार्गो का मार्गाधिकार निर्धारित नहीं है।

अतः उक्त मार्गो का मार्गाधिकार निर्धारित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से मानकों को संकलित करते हुए तद्नुसार मार्गो का मार्गाधिकार सुनिश्चित करना है।

स– भवन उपविधि 2011 (संशोधन–2015) के अध्याय 3 के विनियमन संख्या 3.3 सूचनायें एवं दस्तावेज के बिन्दु–6 में वर्णित है। कि ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू उपयोग निर्धारित नहीं है में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए समस्त प्रकरणों का गुणदोष के आधार पर अनुमन्य होने की स्थिति में भू उच्चीकरण शुल्क एवं सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा। भू–उच्चीकरण शुल्क एकल आवासीय एवं फुटकर दुकानों को छोडकर सभी प्रकार के प्रयोजन के भवनों पर देय होगा। महायोजना क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र की महायोजना न होने से भू उपयोग निर्धारित नहीं है। अतः उक्त विनियमन के तहत कार्यवाही की जा सकती है। महायोजना से बाह्य क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–उपयोग उच्चीकरण शुल्क आरोपण शासनादेश संख्या 1915/V-2/05 (आ0)/2017 टी0सी0–03/2017 दिनांक 21 नवम्बर 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में भवन उपविधि 2011 (संशोधन–2015) के अध्याय 3 के विनियमन संख्या 3.3 के अनुसार लिया जाना है।

उक्तानुसार महा योजनाओं को अंगीकृत किये जाने, बिन्दु अ पर वर्णितानुसार अनुमोदन एवं महायोजना से बाह्य क्षेत्रों में बिन्दु ब एवं स के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

कार्यवाहीः– बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय। प्रस्ताव के बिन्दु ब एवं स के क्रम में मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों की महायोजना निर्मित नही है के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इन क्षेत्रों में पड़ने वाले मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग,राज्य राजमार्ग जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गो के मार्गाधिकार (Right of way) सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति–पत्र लिया जाय। इन क्षेत्रों में एकल अवासीय एवं फुटकर दुकानों के मानचित्रों को छोडकर अवशेष मानचित्रों हेतु शासनादेशानुसार भू–उच्चीकरण शुल्क आरोपित करते हुए निस्तारण किया जाय। सर्वसम्मति से तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया।

उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत द्वारा उल्लेख किया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय एवं पूर्ववर्ती प्राधिकरण के क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के दोनों ओर 200.00 मीटर दूरी तक पड़ने वाले राजस्व ग्रामों में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर एवं 30.00 वर्ग मीटर में स्वयं द्वारा संचालित व्यावसायिक दुकानें के मानचित्र स्वीकृति से छूट इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी है कि निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार एवं भूकम्परोधी हो। जनपद चम्पावत का मैदानी क्षेत्र पूर्ण रूप से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मलित किया जाय। इस सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या – 01.07

मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के सरलीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1744/(v-2/55 (आ0) 06/2017 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 द्वारा EODB अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। कि शासन के पत्र संख्या 388 दिनांक 08 मार्च 2016 का संदर्भ ग्रहण करने एवं EODB अन्तर्गत राज्य में प्रभावी भवन निर्माण

एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(यथा संशोधित 2015–16) में कार्यवाही गतिमान है। उक्त के निरन्तरता भवन मानचित्र/मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता व सरलीकरण परिवाद निवारण प्रणाली तथा मानचित्र स्वीकृति के समय जमा किये जाने वाले विविध,शपथ–पत्र/प्रमाण पत्र के स्थान पर एकीकृत शपथ पत्र/प्रमाण पत्र एवं आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति बन्धकनामा का प्रारूप संलग्न करते हुए आदेशित किया गया है कि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण स्तर पर मानचित्रों की स्वीकृति में उक्त निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से अपने–अपने क्षेत्रों में इन प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चत करें, संशोधित की जा रही भवन उपविधि/विनियमन में इन प्राविधानों को सम्मिलित किया जाय।

उक्त पत्र में संलग्न दस्तावेज पर शासनादेश सहित संलग्न है। तदनुसार मानचित्रों का आवेदन उक्त प्रारूप में प्राप्त किया जाना है। अतः उक्त प्रारूप को भवन उपविधि में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। भवन मानचित्रों को आन लाईन की व्यवस्था होने तक आफ लाईन मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाय। आन लाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

मद संख्या – 01.08 :– पूर्ववर्ती प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में ।

पूर्व में गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये है को यथावत अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही – प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 01.09 :– पूर्ववर्ती प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में

पूर्ववर्ती जिला स्थानीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति नहीं है। प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 01.10

पूर्ववर्ती प्राधिकरण की अचल सम्पत्ति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

पूर्ववर्ती जिला स्थानीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति नहीं है। प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 01.11

अवैध निर्माण को शमन किये जाने हेतु शमन उपविधि को अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

शमन उपविधि एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या 1963/V-2/05(आ0)/2017 टी0सी0–03/2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 में उल्लेख किया गया है किः–

1– उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 2281/9–आ–1–96–6 डीए/01 दिनांक 22 जून 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में शमन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

2–उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 152/9–आ0–1–98 दिनांक 15 जनवरी 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में अवस्थापना फण्ड के संचालन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत शमन उपविधि एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है।

1– उक्त के कम में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत हेतु अपराधों का शमन उपविधि पूर्ववर्ती शासन आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 2281/9 आ–1–96 6डीए/01 दिनांक 22 जून 1998 तथा उक्त में उत्तराखण्ड शासन द्वारा किये गये संशोधन अधिसूचना संख्या 2202/श0वि0आ0–03–52 (सामान्य)/2003 दिनांक 04 सितम्बर 2003 एवं अधिसूचना संख्या 3686/श0वि0आ0–03–52 (सामान्य)/2003 दिनांक 31 दिसम्बर 2003 जो कि परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। को अंगीकृत किया जाना है।

उक्त शमन में निम्नानुसार संशोधन अपेक्षित है :–

अ– उक्त शमन उपविधि के बिन्दु–9 बिना स्वीकृत किया गया भू–उप विभाजन/विकास कार्य हेतु उप विभाजन शुल्क निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

उप विभाजन शुल्क भूखण्ड के नवीनतम सर्किल रेट का प्रतिशत में	एकल आवासीय		एकल आवासीय से भिन्न भवनों हेतु (2000 वर्गमी0तक)	
	निर्मित क्षेत्र	बाह्य क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	बाह्य क्षेत्र
	2%	5%	5%	10%
नोट–उक्त भू–उपविभाजन मात्र ऐसे भूखण्डों पर देय होगा जहां पर भवन निर्माण विनियमानुसार न्यूनतम आवश्यक मार्ग की चौडाई से 25 प्रतिशत कम हो। पर्वतीय क्षेत्र में एकल आवासीय भूखण्डों के पहुंच हेतु पैदल मार्ग 2.00 मी0 से कम होने पर शमनीय नहीं होगा। 2000 वर्गमीटर से अधिक विस्तृत परियोजना भूखण्ड़ों हेतु 3% देय होगा। पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कुल आंकलन उपविभाजन शुल्क का 50% देय होगा। मैदानी क्षेत्रों हेतु कुल आंकलन का उपविभाजन शुल्क का 25 % देय होगा।				

निर्मित क्षेत्र का तात्पर्य महायोजना में अंकित निर्मित क्षेत्र या भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के अध्याय–7 के अनुसार होगा।

शमन उपविधि के बिन्दु–10 भू–उपविभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य न हो अर्थात पहुंच मार्ग की चौड़ाई 25 प्रतिशत से अधिक कम होने पर भू–उपविभाजन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण स्तर से दरों को जो बिन्दु–9 में निर्दिष्ट के दुगने से उच्च होगी स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।

ब– उक्त शमन उपविधि के टिप्पणी बिन्दु–5 में कार पार्किंग शमनीय न होना प्राविधानित किया जाय।

स–पर्वतीय क्षेत्रों में एकल आवासीय भवनों हेतु शमन उपविधिनुसार शमन शुल्क आंकलन का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

द–जहां पर अधिनियमानुसार मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य थी किन्तु तत्सम्बन्धी धाराओं में मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है अर्थात पूर्ण रूप से बिना अनुमति के होने पर आंकलित शमन शुल्क का 100 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

य– अशमनीय भवन भाग को ध्वस्त किये जाने के उपरान्त ही शमन हेतु प्राविधानित किया जाय।

र– मार्गाधिकार में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य किसी प्रकार का निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही शमन कार्यवाही प्राविधानित की जाय।

ल–प्रत्येक प्रकरण पर सहयुक्त नियोजन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी की तकनीकी आख्या के उपरान्त ही शमन कार्यवाही प्राविधानित की जाय।
व– अवैध निर्माण तलो के प्रत्येक तल पर भू–मूल्य आरोपित किया जायेगा।
2– पूर्ववर्ती राज्य के कार्यालय ज्ञाप संख्या 152/9–आ–1–1998 दिनांक 15 जनवरी 1998 में वर्णित के अनुसार निम्न कार्यवाही की जानी है:–

मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या877/उडा–327/जि0वि0प्रा0/2017–18 दिनांक 11.1.2017 के एस0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के कम में निम्नानुसार खाते खोले गये है।

कंसं	बैक /शाखा का नाम	खाते का प्रकार	आईएफएससी कोड	खाता संख्या
1	सिंडिकेटबैंक शाखा–चम्पावत	**मुख्य खाता**– इस खाते में रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर की राशि जमा की जायेगी।	SYNB0008958	89582210005221
2	सिंडिकेटबैंक शाखा–चम्पावत	**अवस्थापना खाता**–इस खाते में विभिन्न शुल्क से प्राप्त धनराशि को शासनादेश के माध्यम से की गयी व्यवस्था के अनुसार जमा किया जायेगा।	SYNB0008958	89582210005236
3	सिंडिकेटबैंक शाखा–चम्पावत	**एस्को खाता**–इस खाते में परियोजनाओं हेतु लोन लिये जाने की स्थित में धरोहर धनराशि जमा की जायेगी।	SYNB0008958	89582210005240
4	सिंडिकेटबैंक शाखा–चम्पावत	**कलैक्शन खाता**– सर्व प्रथम इस खाते में ही प्राधिकरण की समस्त आय शासन से प्राप्त धनराशि तथा ऐसी समस्त धनराशि जो किसी भी माध्यम से प्राप्त हो रही हो जमा की जायेगी तत्पश्चात शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार उक्त धनराशि तय प्रतिशत के अनुसार उपरोक्त खातों में हस्तगित की जायेगी।	SYNB0008958	89582210005255

आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निश्चित किया होगा, में विकास/सुधार शुल्क जमा किया जायेगा। उक्त कार्यालय ज्ञाप एवं समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार विकास/सुधार शुल्क शमन शुल्क एवं भू–परिवर्तन/भू–उच्चीकरण शुल्क का निर्धारित प्रतिशत सम्बन्धित खाते में जमा की जानी है। उक्त खाते की धनराशि से व्यय हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति गठित की जानी है उक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सदस्य जिलाधिकारी,उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, 1–अपर जिलाधिकारी चम्पावत 2–अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 सम्बन्धित क्षेत्र के 3–अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान चम्पावतं 4– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण लोक निर्माण विभाग चम्पावत 5–सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी 6–अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्पावत एवं सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत, सम्बन्धित क्षेत्र आमंत्रित सदस्य का प्रस्ताव है।

उक्तानुसार अपराधों का शमन उपविधि तथा इसमें अपेक्षित संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने एवं इन्फास्ट्रक्चर कमेटी का अनुमोदन के साथ–साथ अवस्थापना फण्ड का संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवाही– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शासनादेशों में वर्णित शमन उपविधि एवं संशोधित प्राविधानों को अनुमोदित करते हुए अंगीकृत किया गया। आयुक्त, कुमाऊ मण्डल,नैनीताल की अध्यक्षता में इन्फ्रास्ट्रेक्चर कमेटी के सदस्यों की कमेटी का अनुमोदन किया गया। कमेटी में यथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को भी आमंत्रित किये जाने का अनुमोदन एवं अवस्थापना फण्ड खाता

संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। रेनवाटर हार्वेस्टिग भण्डारण के प्राविधानों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भण्डारण का स्थल पर विद्यमान होने के उपरान्त ही शमन की कार्यवाही की जाय।

मद संख्या –01.12 :– मानचित्रों के निस्तारण हेतु देय शुल्कों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास आवास अनुभाग देहरादून के शासनादेश संख्या 4697/वी/श0वि0–आ0–2004–80 (सा0)/2003 दिनांक 19 अक्टूबर 2004 जो राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित शुल्कों के निर्धारिण विषयक है, में मानचित्र आवेदन शुल्क व सुधार/विकास शुल्क एवं अन्य शुल्कों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेशे को अंगीकृत किया जाना है।

महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या 1895/वी0/आ0–2016–11(एल0यू0सी0)/03–2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 जिसमें पूर्ववर्ती उक्त सम्बन्धी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश अंगीकृत किया जाना है।

कार्यवाही– **प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक शासनादेश के अनुसार आवासीय भवन हेतु जहां पर आवासीय घनत्व वर्णित न हो हेतु रू0, 75/प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा। अवशेष शुल्क शासनादेशानुसार प्रभावी होगें एवं भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेश को भी यथावत अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

मद संख्या 01.13 :– मानचित्रों स्वीकृति का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 (Development of the land in the Development Area) धारा–15 (Application for permission)एवं अधिनियम की धारा–15 ए (Completion Certificate) के तहत कार्यवाही का अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का मुख्यालय कलक्ट्रेट चम्पावत एवं क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में अवस्थित किये जाने है।

सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत मुख्यालय, उप जिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर के संयुक्त सचिव को उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत द्वारा अपने आदेश संख्या 2353/तेईस–एल0बी0सी0/2017–18 दिनांक 13–12–2017 द्वारा अधिनियम की धारा 14 व 15 की कार्यवाही हेतु प्रतिनिधायन किया गया है।

अतः सचिव एवं संयुक्त सचिवों के मध्य अधिनियम की धारा–14 15 एवं 15 ए के तहत निर्माण/विकास कार्यो के मानचित्रों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

1– उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर–तहसील श्री पूर्णागिरी।

उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में सम्बन्धित तहसीलों से प्राप्त होने वाले समस्त भवन मानचित्रों का आवेदन शुल्क जमा कराते हुए पंजीकरण करेंगे। प्राप्त होने वाले 350 वर्ग मीटर तक के भू खण्ड क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति/निस्तारण संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा। अवशेष पंजीकृत आवेदित मानचित्रों को निस्तारण हेतु तकनीकी आख्या सहित उपाध्यक्ष/मुख्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

2– सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण मुख्यालय–तहसील चम्पावत के तहत प्राप्त होने वाले समस्त भवन मानचित्रों का आवेदन शुल्क जमा कराते हुए पंजीकरण करेंगे। एकल आवासीय भवन मानचित्र तहसील चम्पावत के साथ–साथ लोहाघाट, बाराकोट पाटी उप तहसील मंच, एवं पुल्ला के

350 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के प्राप्त होने वाले एकल आवासीय भवनों की स्वीकृति / निस्तारण सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

3— जनपद में क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर प्राप्त 350 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के आवासीय व अनावासीय व्यवसायिक मानचित्रों का निस्तारण उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किये जायेगें।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु भू—वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग वन विभाग तथा सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से अनापत्ति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। मैदानी क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग भूखण्ड में वृक्ष विद्यमान होने पर वन विभाग तथा सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी की अनापत्ति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनावासीय यथा—व्यावसायिक, औद्योगिक ग्रुप हाउसिंग मल्टीपल इकाई रिजार्ट ले आउट आदि समस्त मानचित्र स्वीकृति अस्वीकृति / शमन हेतु पत्रावलियां सहयुक्त नियोजक एवं सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकर चम्पावत को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति निर्गत करने एवं अस्वीकृत पत्र जारी करने का कार्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम की धारा—15 (3) के तहत मानचित्रों के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष उक्त में कभी भी संशोधन अपने स्तर से कर सकेंगे।

अतः उक्तानुसार मानचित्र स्वीकृति एवं धारा—15 ए (Completion Certificate) के तहत अधिकारों का प्रतिनिधायन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :—प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्वतीय भू—भाग में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु भू—वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स हल्द्वानी लो0नि0वि0 वन विभाग एवं सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से अनापत्ति पत्रों की अनिवार्यता होगी।

मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग के मार्गो पर विभाग का अनापत्ति—प्रमाण पत्र सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग हल्द्वानी एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभाग (वन विभाग विद्युत विभाग राजस्व विभाग आदि) का अनापित्त पत्र की अनिवार्यता होगी।

अधिनियम की धारा—14, 15 एवं 15ए का प्रतिनिधायन निम्नानुसार किया गया :—

क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने वाले समस्त माननित्रों का पंजीकरण सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में ही होगी। संयुक्त सचिव स्तर से मात्र भूखण्ड क्षेत्रफल 350.00 वर्गमीटर तक में एक आवासीय भवन मानचित्रों का निस्तारण उक्तानुसार वर्णित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर निस्तारित किये जायेगे। संयुक्त सचिव प्रत्येक माह निस्तारित मानचित्रों की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

सचिव स्तर से मात्र भूखण्ड क्षेत्रफल 350.00 वर्गमीटर तक में एकल आवासीय भवन मानचित्रों का निस्तारण उक्तानुसार वर्णित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर निस्तारित किये जायेगे।

उक्त से अतिरिक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने वाले समस्त एकल आवासीय भवन मानचित्र (350.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के) तथा समसत अनावासीय, व्यवसायिक ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पत्रावलियां सहयुक्त नियोजक की आख्या एवं तकनीकी आख्या सहित पत्रावलियां सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष को अग्रसारित करने एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति एवं अस्वीकृति जारी करने का कार्य अपने—अपने क्षेत्रों की पत्रावलियों पर सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।

सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रतिनिधायन में किसी भी प्रकार का संशोधन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकेंगे।

मद संख्या 01.14

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 26ए 26सी एवं धारा 32 का प्रतिनिधायन।

उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के कार्यालय आदेश संख्या 2353 /तेईस–एल0बी0सी0/2017–18 दिनांक 13–12–2017 द्वारा सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी को धारा 51(3) के तहत अधिनियम की धारा 14 व 15 के उल्लघंन एवं बिना अनुमति के किये जा रहे अवैध विकास निर्माण के विरूद्ध धारा 27, 28 एवं 28 (क) के तहत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। तथा अवैध निर्माण वादों की समयबद्ध सुनवाई एवं निस्तारण भी अधिनियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसे अंगीकृत किया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा–26 Penalities 26A Encroachment of obstruction on public land 26-C Authority may without notice removed anything erected or disposited in contraventions of Act की कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी, चम्पावत सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव चम्पावत व श्री पूर्णागिरी को अपने–अपने तहसील क्षेत्रों में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाना है।

अधिनियम की धारा–32 Compostion of offences के तहत सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी पूर्णागिरी (टनकपुर) का अधिकृत किया जाता है:–

1– उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव टनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय–तहसील पूर्णागिरी(टनकपुर) में अवैध निर्माणों के विरूद्ध धारा 27 28 एवं 28 क की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे किन्तु धारा–27 के तहत 350.00 वर्ग मीटर भूखण्डों में एकल आवासीय भवनों के वादों की सुनवाई, धारा–32 के तहत प्रशमन की कार्यवाही एवं निस्तारण कर सकेंगे।

2– सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत तहसील चम्पावत, लोहाघाट पाटी बाराकोट उप तहसील मंच, पुल्ला के समसत एकल आवासीय भवनों एवं अवशेष समस्त तहसीलों के अन्तर्गत 350.00 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में व्यवसायिक अवैध निर्माणों की सुनवाई धारा–32 के तहत प्रशमन एवं निस्तारण कर सकेंगे।

उक्त के अतिरिक्त 350.00 वर्ग मीटर से अधिक व्यवसायिक भूखण्डों एवं समस्त प्रकार के गैर आवासीय अवैध निर्माणों की सुनवाई शमन एवं निस्तारण की कार्यवाही उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत द्वारा की जायेगी। उक्तानुसार अधिकारों का प्रतिनिधायन का प्रस्ताव प्राधिकर के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:– प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–26, 26ए 26सी , 27,28,28 क 40 एवं 49 धाराओं में निहित समस्त अधिकार व कार्यवाही हेतु सचिव एवं संयुक्त सचिवों को प्रतिनिधायित किया गया। अधिनियम की धारा–27 के प्रचलित वादों की सुनवाई एवं धारा–32 के तहत अपराधों का शमन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधायन किया गया:–संयुक्त सचिव स्तर से भूखण्ड क्षेत्रफल 350.00 वर्ग मीटर तक एकल आवासीय अवैध निर्माणों की सुनवाई के उपरान्त शमन एवं निस्तारण की कार्यवाही कर सकेंगे। सचिव स्तर से भूखण्ड 350.00 वर्ग मीटर तक एक आवासीय अवैध निर्माणों की सुनवाई के उपरान्त शमन एवं निस्तारण की कार्यवाही कर सकेंगे। उक्त से अतिरिक्त समस्त प्रकार के अवैध निर्माणों यथा आवासीय भवन 350.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल व समस्त अनावासीय व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग अवैध निर्माण के वादों की सुनवाई एवं निस्तारण उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत द्वारा ही किये जायेगी। अवैध निर्माण शमनीय होने पर शमन सम्बन्धी कार्यवाही पत्रावलियां सहयुक्त नियोजक की आख्या एवं तकनीकी आख्या सहित पत्रावलियां सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष को अग्रसारित करने एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त प्रशमन स्वीकृति जारी करने का कार्य अपने–अपने क्षेत्रों की पत्रावलियों पर

सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रतिनिधायन में किसी भी प्रकार का संशोधन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकेंगे।

मद संख्या 01.15 :– वित्त अधिकारों का प्रतिनिधायन–

प्राधिकरण के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन आहरण के साथ–साथ अन्य कार्यकलापों हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं आहरण हेतु अधिकतम रू0, 100000.00 (रूपये एक लाख) की वित्तीय स्वीकृति सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को अधिकृत करने एवं इससे अधिक व्यय हेतु समस्त वित्तीय अधिकार उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ।

कार्यवाही:– वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के कम में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को कर्मचारियों के वेतन आहरण से अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु अधिकतम रू0, 1,00,000.00 (रूपया एक लाख) तक बजटीधनी/अनुषांगिक व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार होगा। वित्त अधिकारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक निर्गत किया जायेगा। उक्त से अधिक का अनुमोदन एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त पत्रावलियों पर उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त चैक निर्गत करने की कार्यवाही वित्त अधिकारी एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से निर्गत किये जायेगे। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रतिनिधायन में किसी भी प्रकार का संशोधन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकेंगे।

<u>मद संख्या 01.16</u>

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तिम त्रैमासिक का प्रस्तावित बजट के आय–व्यय का विवरण –

पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्र चम्पावत के बचत खाते में धनराशि रू0,737429.00,जमा है। दिनांक 27.09.2017 से स्थानीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का कार्य प्रारम्भ हुआ है। स्थानीय विकास प्राधिकरण में मानचित्र शुल्क/अनुज्ञा शुल्क सहित प्राप्त धनराशि चालू खाते में रू0, 165,868.00 जमा है। पूर्व विनियमित क्षेत्र चम्पावत के खाते में उपलब्ध धनराशि को जिला स्तरीय विकास–प्राधिकरण के खाते में हस्तानान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय विकास प्राधिकरण को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष लेखन सामग्री व बोर्ड तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति का बिल उपलब्ध न होने से भुगतान किया जाना शेष है। मार्च 2017 तक प्राधिकरण की आय से व्यय किये जाने का का प्रस्ताव है। कार्यालय /वेतन हेतु शासन स्तर से रू0, 5,00,000.00 प्राप्त होने पर व्यय किया जाना है।

कार्यवाही :– प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्र एवं स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बैक खातों में जमा धनराशि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाय। शासन से धनराशि प्राप्त न होने की दशा में प्राधिकरण के खातो में जमा धनराशि से कार्यालय व्यय /वेतन व अन्य में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

मद संख्या 01.17

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्रचलित निर्माणों एवं व्यावसायिक भवनों जो अभी अधिभोग हेतु पूर्ण नही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो की अनुमति सम्बन्धित अधिनियमों के तहत दी जाती थी इससे अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें कोई भी अनुमति लिये जाने हेतु कोई बाध्यता नही थी अपितु मुख्य मार्गो के किनारे रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के तहत अनापत्ति का प्राविधान था।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का गठन 13 नवम्बर 2017 को हुआ है। जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ऐसे बडे–बडे निर्माण/व्यवसायिक निर्माण नहीं है।

भविष्य में ऐसे निर्माण निर्मित होने वाली महायोजना में समायोजित की जानी है। वर्ष 2006 के पश्चात पर्वतीय क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर से अधिक एवं मैदानी क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण पर इनके विनियमित किये जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित की जानी है। जो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कर सकेगी। समिति के सदस्य निम्नानुसार होगे :–

1– सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत – सदस्य
2– सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी–सदस्य
3– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 सम्बन्धित क्षेत्र – सदस्य
4– उप जिलाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र– सदस्य
5– उप खण्ड अधिकारी वन विभाग सम्बन्धित क्षेत्र– सदस्य

उक्त समिति ऐसे प्रकरणों पर अपनी आख्या उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी जिनका निस्तारण उपाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा, का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:–प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रचलित व्यावसायिक ग्रुप हाउसिंग, अनावासीय भवन निर्माण जो अपूर्ण एवं जो अधिभोग हेतु पूर्ण नहीं है के सम्बन्ध में ऐसे भवनों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया ।

1– सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत – सदस्य
2– सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी–सदस्य
3– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 सम्बन्धित क्षेत्र – सदस्य
4– उप जिलाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र– सदस्य
5– उप खण्ड अधिकारी वन विभाग सम्बन्धित क्षेत्र– सदस्य

उक्त समिति ऐसे निर्माणों के सम्बन्ध में 01 माह में आख्या उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को प्रस्तुत करेगी। उपाध्यक्ष द्वारा अन्तिमीकृत किया जायेगा।

मद संख्या –01.18

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सृजित होने से प्राधिकरण के मुख्यालय चम्पावत एवं क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में स्थापित किया जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठन होने के उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र अति विस्तृत हो गया है।

अतः मुख्यालय चम्पावत एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 01–01 वाहन नियमित प्राधिकरण के कार्यकलापों को संचालित किये जाने हेतु कय किये जाने अथवा शासनादेशानुसार किराये पर लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:– प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>मद संख्या 1.19</u>

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण , चम्पावत हेतु अधिवक्ताओं के पैनल के सम्बन्ध में

पूर्व विनियमित क्षेत्र एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वर्तमान तक कोई भी वाद नहीं है पूर्व में मा0 आयुक्त न्यायालय नैनीताल/मा0 सिविल न्यायालय चम्पावत/मा0 न्यायालय अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून में विभिन्न न्यायालयों में वादों की पैरवी हेतु कोई दरें निर्धारित नहीं की गयी है।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायलाय/राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल/मा0 आयुक्त न्यायालय/लोक सेवा अभिकरण/लोकायुक्त/सूचना आयोग/मा0 उत्तराखण्ड शासन (पुनरीक्षण)/ एवं जिला स्तरीय मा0 न्यायालयों में पैरवी किये जाने हेतु हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है :-

कसं	मा0 न्यायालय का नाम	दर रू0,
1	मा0 सिविल न्यायालय में वाद/अपील/रिविजन/अधिनियम की धारा -49 के अन्तर्गत व्यादेश	रू0, 8,000.00 प्रतिवाद खर्च पृथकतः बिल प्रस्तुत करने पर रू0, 2000.00 तक।
2	मा0 आयुक्त न्यायालय	रू0, 2000.00 प्रतिवाद मय अपील व्यय सहित
3	विधिक राय	रू0, 700.00 प्रति समस्त व्यय सहित
4	लोक सेवा अभिकरण /लोकायुक्त/सूचना आयोग	रू0, 2000.00 प्रतिवाद मय व्यय सहित।
5	मा0 उत्तराखण्ड शासन (पुनरीक्षण)	रू0, 2000.00 प्रतिवाद मय व्यय सहित।
6	मा0 उच्च न्यायालय , नैनीताल	रू0,9000.00 प्रतिवाद खर्क पृथकतः बिल प्रस्तुत करने पर रू0, 2000.00 तक।
7	मा0सर्वोच्च, न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली।	रू0, 15,000.00 प्रतिवाद तिथि।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं को देय फीस सम्बन्धी शासनादेश संख्या 91 दिनांक 25.06.2015 को अंगीकृत किया जाना है। प्राधिकरण का क्षेत्र वर्तमान में विस्तृत हो जाने के फलस्वरूप वादों की संख्या में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप अधिवक्ताओं की संख्या भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जानी होगी। तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवाही :- प्रस्ताव पर विचार -विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के पैनल के सम्बन्ध में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हरिद्वार, एवं दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा निर्धारित दरों को प्राप्त करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाय। तदोपरान्त उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को दरों के निर्धारिण हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 01.20

प्राधिकरण में नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2104/V-2 -2017 -53 (आ0)/2014 आवास अनुभाग-2 दिनांक 15 दिसम्बर 2017 द्वारा उत्तखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे में पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकों अंगीकृत किया जाना है। शासन द्वारा सृजित पदो के सापेक्ष रिक्त पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति किये जाने अधिकारी/कर्मचारियों हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने नियमावली के अनुसार प्राधिकरण स्तर से कर्मचारियों को नियुक्त करने एवं आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को भी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- शासनादेशानुसार सृजित पदों को सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । शासन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर हेतु भी पदों का सृजन किया गया है। अतः उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) को पदेन संयुक्त सचिव नियुक्त किये जाने एवं प्राधिकरण के सृजित पदों में शासन स्तर से नियुक्त होने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। इससे अवशेष प्राधिकरण स्तर पर किये जाने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण के कार्यालय स्थापना/सुचारू संचालित किये जाने हेतु लिपिक, डाटा इन्ट्री आपरेटर, **तकनीकी सुपरवाईजर तथा अनुसेवक उपनल/पीआरडी/बाह्य एजेन्सी से आवश्यकतानुसार ले लिया जाय।**

मद संख्या –1.21

तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शुल्कों एवं आवेदित होने वाले समस्त मानचित्रों पर देय कर्मकार कल्याण उपकर व पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

चम्पावत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के प्रथम बोर्ड बैठक के मद संख्या 1.12 मानचित्रों के निस्तारण हेतु देय शुल्कों के तहत प्रस्तर–3 में उल्लेख किया गया हैः–

अ–शासनादेशों में तलपट मानचित्रों की स्वीकृति हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं किये गये है। अतः तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शुल्क देय होंगें:–

1– प्रोसेसिंग शुल्क रू0, 50,000/– प्रति हैक्टेयर भू– क्षेत्रफल पर।

2– पर्यवेक्षण शुल्क–ले–आउट के अन्तर्गत कुल भूमि के मूल्य का 03 प्रतिशत।

3– इको चार्ज–ले–आउट के अन्तर्गत 40 प्रतिशत भूमि के क्षेत्रफल पर रू0, 10/– प्रति वर्गमीटर की दर से।

4– बाह्य विकास शुल्क –तलपट मानचित्र के बाह्य क्षेत्र में विकास कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दरानुसार आगणित धनराशि का 16 प्रतिशत।

5– समस्त भवनों के प्रस्तावित कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर पर्यवेक्षण शुल्क रू0, 5/– प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

उक्त शुल्क स्थानीय विकास प्राधिकरणों की बैठक के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित था । तत्परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन–2015 एवं शासनादेशानुसार संशोधित शुल्क निर्धारण प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

1– प्रोसेसिंग शुल्क भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के अध्याय–2 के बिन्दु 2.2.1 के अनुसार विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत कोई प्रोसेसिंग शुल्क देय नहीं है। यद्यपि भवन निर्माण विनियम–7.2 ग्रुप हाउसिंग/उपविभाजन के तहत एक एकड से कम क्षेत्र के भूखण्डों के उपविभाजन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रू0, 50,000/– निर्धारित मद में जमा कराये जाने का प्राविधान है । एक एकड़ से अधिक भूखण्डों के उपविभाजन हेतु बैंक गारण्टी ग्रुंप हाउसिंग हेतु विनियमों के अनुसार प्राविधानित है। अंगीकृत किया जाना है।

2– पर्यवेक्षण शुल्क –उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग–3 लखनऊ के शासनादेशे संख्या 3661/9आ–3–98–7 वि0/98 दिनांक 25 अक्टूबर 2000 जो तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में है। के अनुसार प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्राप्त तलपट मानचित्रों पर क्षेत्रफल के आधार पर रू0, 03/–प्रति वर्ग मीटर (ग्रौस एरिया पर) पर्यवेक्षण शुल्क देय प्राविधानित है। देहरादून एवं हरिद्वार विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासनादेशों को अंगीकृत करते हुए पर्यवेक्षण शुल्क आरोपित किया जा चुका है, को अंगीकृत किया जाना है।

3– इको चार्ज– ले आउट के अन्तर्गत 40 प्रतिशत भूमि के क्षेत्रफल पर रू0, 10/– प्रतिवर्गमीटर की दर से । अन्य प्राधिकरणों द्वारा अंकीकृत किया जा चुका है, को अंगीकृत किया जाना है।

4– बाह्य विकास शुल्क – तटपल मानचित्र के क्षेत्रान्तर्गत समस्त विकास कार्य के आंकलन (स्टीमेट) का 16 प्रतिशत। अन्य प्राधिकरणों द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है, को अंगीकृत किया जाना है।

ब– आवेदित होने वाले समस्त मानचित्रों पर देय कर्मचाकर कल्याण उपकर एवं पर्यवेक्षण शुल्क – उत्तराखण्ड शासन, श्रम सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेशे संख्या 1355/VIII /216 – 27(श्रम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकरण की

प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचवार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने विषयक है, जो पूर्व से ही अंगीकृत है, को यथावत अंगीकृत किया जाना है।
शासनादेश संख्या 146/9–आ–3–898–7वि0/98 दिनांक 22 जनवरी 1998 के अनुसार प्रस्तावित भवन के तलक्षेत्र को आधार मानते हुए पर्यवेक्षण शुल्क रू0, 5 प्रतिवर्ग मीटर पर समान रू‍ से लागू की जायेगी। तदनुसार प्राधिकरणों द्वारा अंगीकृत किया गया है, को अंगीकृत किया जाना है।
उक्तानुसार बिन्दु–अ तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शुल्क तथा बिन्दु –ब कर्मकार कल्याण उपकर एवं पर्यवेक्षण शुल्क जो शासनादेशानुसार प्राधिकरणों द्वारा अंगीकृत है, का अनुमोदन एवं अंगीकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से बिन्दु– अ के तहत तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्कों का निर्धारण किया गया :–

1– प्रोसेसिंग शुल्क– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/निनियम–2011(संशोधन–2015 के अध्याय–2 के बिन्दु 2.2.1 के अनुसार विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत कोई प्रोसेसिंग शुल्क देय नही है। यद्यपि भवन निर्माण विनियम– 7.3 ग्रुप हाउसिंग/उपविभाजन के तहत एक एकड़ से कम क्षेत्र के भूखण्डों के उपविभाजन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रू0, 50,000/– निर्धारित मद में जमा कराये जाने का प्राविधान है। एक एकड़ से अधिक भूखण्डों के उपविभाजन हेतु बैंक गारण्टी ग्रुप हाउसिंग हेतु विनियमों के अनुसार देय होगा।

2– पर्यवेक्षण शुल्क–उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग–3 लखनऊ के शासनादेश संख्या 3661/9–आ–3–98–7 वि0/98 दिनांक 25 अक्टूबर 2000 जो तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में है, के अनुसार प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्राप्त तलपट मानचित्रों पर क्षेत्रफल के आधार पर रू0, 3/– प्रति वर्गमीटर (ग्रौस एरिया पर) पर्यवेक्षण शुल्क देय होगा।

3– इको चार्ज–ले आउट के अन्तर्गत 40 प्रतिशत भूमि के क्षेत्रफल पर रू0, 10/– प्रतिवर्गमीटर की दर से देय होगा।

4– बाह्य विकास शुल्क– तलपट मानचित्र के क्षेत्रान्तर्गत समस्त विकास कार्य के आंकलन (इस्टीमेट) का 16 प्रतिशत देय होगा।

उक्त के साथ–साथ सर्व सम्मति से बिन्दु–ब में वर्णित उत्तराखण्ड शासन , श्रम सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 1355/VIII /216–27(श्रम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के अनुसार लेबर वैलफेयर सैस निर्माण लागत रू0, 10.00 लाख से अधिक होने पर कुल लागत का 01 प्रतिशत एवं शासनादेश संख्या 146/9–आ–3–898–7वि0/98 दिनांक 22 जनवरी 1998 के अनुसार के अनुसार समस्त भवन के कुल तल क्षेत्र पर पर्यवेक्षण शुल्क रू0, 5/– प्रति वर्गमीटर पर समान रूप से देय होगा।

मद संख्या–1.22

अन्य बिन्दु– अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सचिव तथा संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण के नियमों/शासनादेशों की जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करें ताकि क्षेत्रीय जनता विकास प्राधिकरण के नियमों के सम्बन्ध में जागरूक हो सके। इसके साथ ही पम्पलेट आदि के माध्यम एसे उक्त नियमों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के भी निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
चम्पावत।

आयुक्त/अध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
चम्पावत।